## पावर ग्रिंड कोपॉरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड Power Grid Corporation of India Limited



सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गडगांव, हरियाणा-122007



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/E/21/00283

दिनांक: 26 July, 2021

SHRI SHUBHAM SAXENA, LIG 215 A SECTOR, RAJEEV NAGAR, BHOPAL, Pin-462041 Madhya Pradesh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 11 July, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

## श्री बी. अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एम. जी.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

अववीप

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.स्.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

## अनुलग्नक-।

## Sub.: Reply to RTI Query by Shri Shubham Saxena, Madhya Pradesh.

Query 1.	Power Grid Corporation of India Limited had published vacancy of Company Secretary vide Advt. No. CC/04/2020(B) dtd. 30 <sup>th</sup> June 2020.
	As a prospective candidate I want to inquire - When will the organization conduct the said examination in notification?
Query 2.	What is the present status of the recruitment process and up to when the process will be completed?
Query 3.	Is there any chance that the organization will take back the vacancy notification?
Reply 1,2,3	The query pertains to a future event and accordingly answer to this query does not qualify as "information" as per clause 2(f) of the RTI Act 2005.

----X----

